IIIrd

पत्रांक :- 73/0245-F/SMCG/02 दिनांक :- 14/01/19

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति की तृतीय एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के शासी परिषद की दिनांक 31.12.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 (एस.एम.सी.जी.–उ0प्र0) के शासी परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 31.12.2018 को अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति/अध्यक्ष, शासी परिषद, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य गंगा समिति तथा शासी परिषद के सम्मानित सदस्यों के साथ, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभागी सदस्यों व उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

1	श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन
2.	श्रीमती कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव वन, उत्तर प्रदेश शासन
3.	श्री अजय कुमार शुक्ल, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन
4	श्रीहरि प्रताप शाही, विशेष सचिव नगर विकास/अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन.उ0प्र0
5	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन
6	श्री रमेश चन्द्र, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
7	श्री आशीष तिवारी, सदस्य सचिव प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0।
8	श्री प्रवीन कुमार विशेष सचिव, पंचायती राज, विभाग, उ0प्र0।
9	श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0।
10	श्री टी.के. शिबू, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
11	सुश्री. अनीता वर्मा सिंह, विशेष सचिव, सिंचाई
12	श्री गोपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग
13	डा0 दीपक कोहली, उप सचिव, वन विभाग, उ0प्र0.
14	श्री आकाशदीप, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन
15	श्री अजेय रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16	श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, सांइटिस्ट, एक्वाटिक टॉक्सीकोलॉजी डिवीजन, आई0टी0आर0सी0 लखनऊ।
17	प्रो0 आर0सी0 वैश्य, प्रोफेसर, इनवायरमेन्टल इंजीनियरिंग एम.एन.आई.टी.,इलाहाबाद।
18	प्रो0 बी0डी0 त्रिपाठी, कोआर्डिनेटर सेन्टर फार इन्वायरमेन्टल सांइस एण्ड टेक्नोलाजी, बी0एच0यू0, वाराणसी।
19	श्री नीरज श्रीवास्तव, (गंगा एक्टिविस्ट), 7/81, नारायण द्वीप, एनेक्सी, तिलक नगर, कानपुर।
20	श्री डी.सी. श्रीवास्ताव मुख्य अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
21	श्री महिम कुमार, राज्य सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन।
22	श्री अशोक कुमार, प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश
23	डा0 ओ.पी. पान्डेय, जे.डी.ए. (एफ.पी.) कृषि भवन, लखनऊ
24	श्री सरोज सिंह, निदेशक कृषि
25	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0। .
26	डा0 गोविन्द जी शुक्ला, निदेशक वित्त, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।
27	श्री पी.के. सरकार यूनिट हेड सी एण्ड ओ., राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।

Scanned with OKEN Scanner

28	श्री सीताराम टैगोर, पर्यावरण विशेषज्ञ, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।
29	श्री रामलगन पाल तकनीकी प्रबन्धक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।
30	श्री आर.बी. सिंह, सीनियर प्रोक्योरमेण्ट स्पेशलिस्ट, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।
31	श्री सुनील कुमार सिंह, आर.टी.आई. आफिसर, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।

सर्वप्रथम बैठक में प्रतिभाग करने वाले समिति के समस्त सदस्यों का सदस्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा स्वागत करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.10.2016 को जारी अधिसूचना तथा उसके द्वारा गठित राज्य गंगा समिति के बारे में समिति के समक्ष प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि उक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 04.01.2018 को सम्पन्न हुई है। राज्य गंगा समिति की यह तृतीय बैठक है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के शासी परिषद की बैठक भी इसी के साथ हो रही है। राज्य गंगा समिति व शासी परिषद दोनों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन हैं तथा दोनों के सदस्यगण एक समान हैं। समिति में पॉच नामित सदस्य हैं जिसमें से चार नामित सदस्य उपस्थित हैं। राज्य गंगा समिति व शासी परिषद की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग एवं लघु उद्योग विभाग के प्रतिनिधिगण द्वारा विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया गया।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बैठक में जो सदस्य प्रतिभाग नहीं कर सके है, को भविष्य में विशेष ध्यान रखते हुए बैठक के संबंध में समय से पहले अवगत कराया जाय तथा सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा समय से ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त भविष्य में बैठक प्रत्येक त्रैमास में हो इसका ध्यान रखा जाय। तत्पश्चात् बैठक के एजेण्डा पर बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

<u>एजेण्डा बिन्दु–3.1</u>

उ0 प्र0 राज्य गंगा समिति की प्रथमबैठक दिनांक 04.01.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य गंगा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 04.01.2018 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दु–3.2

मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में, उ0 प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग परिषद की दिनांक 04.01.2018 को हुई बैठक की कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।

समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 04.01.2018 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए, सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–3.3

I. मा0 मंत्री एवं कैबिनेट सचिव, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न बैठकों व उसमें उठाये गये बिन्दुओं के विवरण का प्रस्तुतिकरण।

इस सम्बन्ध में समिति को संज्ञानित कराया गया कि श्री नितिन गडकरी, मा0 मंत्री, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार, सचिव, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा निम्न समीक्षा बैठकें की गयीं हैं–

1. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न High Level Task Force की नवीं बैठक दिनांक 13.09.2018
2. मा0 मंत्री, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में उ0प्र0 की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 05.12.2018
3. मा0 मंत्री, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में (Empowered Task Force) की तीसरी बैठक दिनांक 26.12.2018

उपरोक्त बैठकों में उ0प्र0 के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर असन्तोष प्रकट करते हुए कार्यवाही किये की अपेक्षा की गयी है:–

1. निर्मित एस.टी.पी. का संचालन न होना, अण्डर कैपिसिटी संचालित होना व पैरामीटर मीट न करना।
2. सीवरेज नेटवर्क व हाउस सीवरेज कनेक्शन से प्रत्येक शहर को आच्छादित कराना।
3. गंगा किनारे के शहरों हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्लान तैयार कराकर पूर्ण कराया जाना।
4. गंगा में मिलने वाले नालों में स्क्रीन लगाया जाना।
5. जिला गंगा समितियों को सक्रिय किया जाना।
6. प्रदूषण करने वाली इकाईयों के प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा उक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए यह निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में समयावधि व वित्तीय व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए

Scanned with OKEN Scanner

कार्ययोजना बनाकर मानीटरिंग करायी जाय, विशेषकर निर्मित एस.टी.पी. के पूर्ण क्षमता के साथ प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने हेतु दीर्घावधि के आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से सुनिश्चित कराया जाय तथा प्रत्येक गंगा किनारे स्थित प्रत्येक नगरों तथा नमामि गंगे परियोजनाओं से आच्छादित नगरों के लिए सीवरेज नेटवर्क व घरेलू सीवरेज कनेक्शन हेतु कार्ययोजना तैयार करायी जाय तथा इसे एन.एम.सी.जी. व सक्षम स्तर पर वित्त पोषण हेतु भेजा जाय।

06 जिला गंगा समितियों द्वारा बैंक एकाउण्ट नहीं खोला गया है तथा समिति की बैठक कर कार्यवृत्त प्रेषित नहीं किया जा रहा है, उनको निर्देश जारी कराते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

II. गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रस्तुतिकरण।

1. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   (i). राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से सम्बन्धित। (strengthing of UPPCB/Monitoring During Kumb)
   (ii). जनपदवार GPI की सूची, विगत 01 वर्ष में प्रत्येक GPI के प्रदूषण नियंत्रण के क्रम में की गई कार्यवाही।
   (iii). जनपदवार गंगा नदी में अन्य प्रदूषण के कारण/कृत कार्यवाही।
   (iv). प्रदेश में संचालित विभिन्न एस.टी.पी. के गुणवत्ता जॉच का प्रस्तुतिकरण।
2. वन विभाग

   राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से सम्बन्धित। (Forestry Scheme/Medicinal plant project/Trutle projects)
3. आवास व शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित व संचालित एस.टी.पी.
   (i). गंगा के किनारे स्थित आवास विकास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा 20,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की स्वीकृत/विकसित आवासीय/संस्थागत योजनाओं का विवरण।
   (ii). कुल स्वीकृत/विकसित आवासीय/संस्थागत योजनाओं के सापेक्ष निर्मित एस.टी.पी. का विवरण।
   (iii). एस.टी.पी. संचालन की स्थिति व मानिटरिंग प्रकिया।
4. पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग
   गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में ODF व SLWM की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रगति व कार्य–योजना।
5. सिंचाई विभाग
   गंगा में निर्धारित E-Flow सुनिश्चित करने की स्थिति व कार्य–योजना
6. कृषि विभाग
   गंगा किनारे स्थित ग्रामों में आर्गेनिक खेती को बढावा देने के दृष्टिगत कार्य योजना।
7. जल निगम
   संचालित व स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण।

Scanned with OKEN Scanner

इस सम्बन्ध में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं व नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सीवरेज व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे पहल का विवरण समिति के संज्ञानार्थ रखा गया है। समिति द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति लायी जाय तथा अपेक्षा की गयी कि HAM परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब को कम करने तथा शीघ्रता से कार्य प्रारम्भ कराये जाने तथा गंगा की सहायक नदियों पर स्थिति शहरों से सम्बंधित स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी. को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।

समिति द्वारा समय को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग व कृषि विभाग द्वारा एजेन्डा में उल्लिखित बिन्दुओं पर किये जाने वाले प्रस्तुतिकरण का हस्ताक्षरित विवरण राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध कराया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–3.4

मा0 मुख्यमंत्री एवं मां0 मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय "कुम्भ मेले की अवधि के दौरान बिजनौर से बलिया तक किसी भी नाले का जल बिना शोधन नदीं में न मिलने दिया जाये" के सम्बन्ध में की जा रहीं कार्यवाही समिति द्वारा संज्ञान लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

समिति को संज्ञानित कराया गया कि दिनांक 13.08.2018 को कानपुर में लोकार्पण व समीक्षा बैठक के दौरान मा0 मुख्यमंत्री एवं मां0 मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे 206 नाले गंगा नदी पर तथा 20 नालें इलाहाबाद में यमुना नदी पर पाये गये, उनमें से 86 नालें गंगा नदी पर तथा 13 नालें यमुना नदी पर किसी न किसी एस.टी.पी. में टैप है, शेष नालों में से 53 नालें 1 एम.एल.डी. या उससे अधिक श्राव के है, तथा 70 नालें 1 एम.एल.डी से कम श्राव के हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ हुयी बैठक में निर्णय लिया गया कि इन 53 नालों के शोधन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था तथा सभी 127 नालों को थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा तथा 1 एम.एल.डी से कम श्राव वाले 70 नालों के शोधन की व्यवस्था राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के माध्यम से उपरोक्त नालों के साथ ही 12 नये संज्ञानित नालों व 9 टैप परन्तु ओरलैप हो रहे नालों के शोधन की कार्यवाही कार्यदायी संस्था जल निगम/एन0पी0सी0सी0/NEERI के माध्यम से कराया जा रहा है। इस की मॉनीटरिंग हेतु मोबाइल एप बनाया गया है तथा आई0आई0 टी0आर0 लखनऊ के माध्यम से थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन कराया जा रहा है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नालों के शोधन के सम्बन्ध में की जा रही मॉनीटरिंग के परिणाम तथा कानपुर के सी.ई.टी.पी. के पुनरोद्धार व उससे सम्बन्धित नालों में ट्रेनरी उत्प्रावह के

Scanned with OKEN Scanner

प्रबन्धन व मानकों का अनुपालन न करने वाले ट्रेनरीज के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण दिया गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही साझा करते हुए समेकित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु–3.5

गंगा संरक्षण सम्बंधी कार्यों में राज्य स्वच्छ गंगा मिषन–उ0प्र0 के साथ सहयोग के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में

समिति को संज्ञानित कराया गया कि World Wide Fund for Nature India (WWF-India) वन्य जीवों व प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है जिसके द्वारा गंगा संरक्षण, जैव विविधता आदि के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है। उक्त संगठन द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के साथ गंगा संरक्षण सम्बन्धी निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने सम्बंधी प्रस्ताव दिया गया है–

1. जिला गंगा समितियों के प्रशिक्षण व सशक्तिकरण
2. व्यवहार परिवर्तन हेतु जन जागरूकता व सहभागिता सम्बन्धी विषय
3. जैव विविधता संरक्षण, नदी स्वास्थ्य आंकलन व पर्यावरणीय प्रवाह सम्बन्धी तकनीकी विषयों पर सहयोग।

समिति द्वारा **World Wide Fund for Nature India (WWF-India)** संस्था द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के साथ कार्य किए जाने के प्रस्ताव पर समिति प्रदान करते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु–3.6

गंगा संरक्षण सम्बंधी कार्यों में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के साथ सहयोग के जी0आई0जेड (GIZ) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में

समिति को संज्ञानित कराया गया कि German Development Cooperation (GIZ) जर्मन सरकार की एजेन्सी है जो विभिन्न देशों के अन्तर्गत वहाँ की सरकार के साथ मिलकर स्थानीय विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओ का कियान्यवयन करती है। वर्ष 2016 से उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ मिलकर जी0आई0जेड0 Indo German Coopration Project नाम की परियोजना का कियान्वयन कर रही है। जिसके अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड एस.पी.एम.जी. के साथ मिलकर कार्यदायी संस्थाओं के क्षमता विकास, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, संचार एवं लोक प्रसार, नई परियोजनाओं के विकास एवं उसकी कार्य–योजना तैयार करने में सहयोग, एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमताबर्द्धन हेतु प्रशिक्षण आदि आदि का आयोजन करती है। नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के महत्व को देखते हुए German Development Cooperation (GIZ) उक्त परियोजना को उ0प्र0 में विस्तार देना चाहती है। यह परियोजना उत्तराखण्ड में 2016 से चल रही है तथा इसकी अवधि अक्टूबर 2020 में समाप्त होनी है।

Scanned with OKEN Scanner

इस क्रम में जी0आई0जेड0 द्वारा एस.पी.एम.जी.–उ0प्र0 के साथ भी गंगा संरक्षण सम्बन्धी कार्यों में सहयोग का प्रस्ताव रखा गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं यथा जल निगम, नगर निकाय आदि के क्षमता सम्वर्द्धन तथा अन्य तकनीकी बिन्दुओं हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराने तथा इस दिशा में कार्य किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

समिति द्वारा German Development Cooperation (GIZ) संस्था द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के साथ कार्य किए जाने के प्रस्ताव पर समिति प्रदान करते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

√ एजेण्डा बिन्दु–3.7

राज्य गंगा समिति की बैठकों में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करना ।

समिति द्वारा राज्य गंगा समिति की बैठकों में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सदस्य के प्रतिभाग किया जाने सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–3.8

गंगा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न विभाग में जिला गंगा समिति/स्थानीय नगर निकाय व ग्राम पंचायतों के कार्यों के आंकलन व प्रोत्साहन हेतु वार्षिक गंगा सर्वे कराये जाने का प्रस्ताव ।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि गंगा संरक्षण सम्बंधी कार्य में प्रदेश के कई विभाग यथा नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम/वन एवं पर्यावरण/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने मूल कार्यों के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार 07.10.2016 के नोटिफिकेशन द्वारा गंगा संरक्षण सम्बंधी कार्यों के लिए जनपद स्तर पर एक नेटवर्क विकसित किये जाने का प्राविधान जिला गंगा समिति का गठन करके किया गया है परन्तु इस दिशा में उनकी शक्रियता और बढाया जाना अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे 21 नगर निकाय व 1010 ग्राम पचायते स्थित है जिनके स्तर से गंगा संरक्षण सम्बंधी कई कार्य ग्राउण्ड लेवल पर किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे जनपद, विभागों व ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा लाने के दृष्टि से गंगा सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु एक कान्सेप्ट नोट बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित किया गया परन्तु एन.एम.सी.जी. के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विस्तृत विवरण व संकेतक तथा अंकन व सवेक्षण पद्धति विकसित करने के लिए एक फर्म का चयन किया जाना होगा। फर्म के चयन के लिए आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पहल/सहमति न दिये जाने की दशा में राज्य स्तर पर इस हेतु धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रथमतः फर्म के चयन व सर्वे हेतु अनुमानित लागत रू0. 5.00 करोड़ की स्वीकृति पर विचार प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण एवं कार्ययोजना के साथ पृथक से पत्रावली परएन.एम.सी.जी. व नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हैं।

एजेण्डा बिन्दु–3.9

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 की कार्यालयीय संरचना का विवरण व कार्यालय संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव–

समिति के समक्ष एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अन्तर्गत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 हेतु निर्धारित कार्यालयीय संरचना प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रस्ताव रखे गये–

I. **राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्राँन्सपोर्ट भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 का कार्यालय 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से स्थानान्तरित होकर प्लाट नं0 18, सेक्टर 07, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ में अधिष्ठापित हुआ है। वर्तमान कार्यालय में आने–जाने हेतु कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, और इस हेतु कोई सुविधा वर्तमान में नहीं दी गयी है।

प्रस्ताव– राज्य स्वच्छ गंगा मिशन –उ0प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार ट्रान्सपोर्ट भत्ता दिया जाना उचित होगा।

(i). L-2 ग्रेड के अधिकारियों हेतु–स्वयं की व्यवस्था करने पर हेतुं रू0 4000.00 प्रतिमाह।

(ii). L-3 ग्रेड के अधिकारियों हेतु– स्वयं की व्यवस्था करने पर रू0 2500.00 प्रतिमाह।

(iii). L-4 ग्रेड के कर्मचारियों हेतु– स्वयं की व्यवस्था करने पर –रू 2000.00 प्रतिमाह।

(iv). L-5 ग्रेड के कर्मचारियों हेतु– स्वयं की व्यवस्था करने पर –रू 1500.00 प्रतिमाह।

(v). अवर्गीकृत/आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु– साईकिल प्रयोग करने पर –रू0 800.00 प्रतिमाह।

II. **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारियों/कर्मचारियों की भाँति राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वास्थ बीमा कराने तथा चिकित्सा भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के गवर्निंग काउन्सिल की 16.06.2016 को सम्पन्न 7वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रेड–ए एवं ग्रेड–बी के अधिकारियों एवं उनके आश्रितों का रू0 5 लाख तक का, सी,डी के लिये रू0 3 लाख तथा ग्रेड ई के एम्प्लाई के लिये रू0 2 लाख का चिकित्सा बीमा अनुमन्य किया गया है, तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी शासनादेश संख्या 4/34/2017-P&PW(D) dated 19.07.2017 के अनुसार भारत सरकार के कर्मियों को चिकित्सा भत्ता रू0 1000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 की नियमावली के नियम (22) के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में लागू पारिश्रमिक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, अन्य भत्ता आदि देय है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव– राज्य स्वच्छ गंगा मिशन –उ0प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा चिकित्सा बीमा के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार श्रेणी ए, बी के अधिकारियों एवं उनके आश्रितों का रू0 5 लाख तक का, सी,डी के लिये रू0 3 लाख तथा ग्रेड ई के एम्प्लाई के लिये रू0 2 लाख का चिकित्सा बीमा अनुमन्य किये जाने तथा शासनादेष संख्या 4/34/2017-P&PW(D) dated 19.07.2017 के प्रविधान के अनुसार रू0 1000.00 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

III. राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 के महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Maternity Benefit Act 1961 तथा उसी क्रम में जारी Maternity Benefit Amendment Act 2017 के अनुसार महिला कर्मी को मातृत्व अवकाश देय है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के गवर्निंग काउन्सिल की 16.06.2016 को सम्पन्न 7वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही केन्द्र सरकार की भाँति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश अनुमन्य किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश सं0 जी–2017/10–2008–26/79 (वित्त सामान्य–2) दिनांक 08.10.2008 द्वारा वेतन समिति की संस्तुति पत्र 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय दिया गया था। इस विभाग में कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कुल 35 है, जिसमें से 07 महिला कर्मी कार्यरत है। एक महिला (श्रीमती प्रमिला यादव–2) कर्मी छः माह तक अवकाश पर रहीं, जिसकी स्वीकृति के लिये बार–बार उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, परन्तु समिति की स्वीकृति के आभाव में एवं उनके द्वारा अवकाश के पूर्व 80 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न कर पाने के कारण उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाना लम्बित है। श्रीमती प्रमिला यादव–2 के प्रकरण को 2017 के पूर्व लागू Maternity Benefit Act 1961 के अन्तर्गत 12 सप्ताह की देयता उपरोक्त शर्त पूरी करने पर बनती है। आगे से महिला कर्मियों को संशोधित एक्त के अनुसार 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश की व्यवस्था प्रार्थित है।

प्रस्तावः– राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की महिला कर्मियों की भाँति राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाष अनुमन्य किये जाने तथा पूर्व में मातृत्व अवकाष का उपभोग करके बार–बार स्वीकृति हेतु श्रीमती प्रमिला यादव–2 द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर मातृत्व अवकाष स्वीकृति हेतु वर्ष भर में 80 दिन कार्य करने की अनिवार्यता से छूट देने एवं 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाष की स्वीकृति के सम्बंध में सहानभूतिपूर्वक विचार हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

IV. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाष के बदले देय नकदीकरण की भाँति राज्य स्वच्छ गंगा मिषन के कर्मियों को भी नकदीकरण की सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के गवर्निंग काउन्सिल की 23.01.2014 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 03 वर्ष के आधार पर चयनित कर्मियों को अवकाश के बदले

Scanned with OKEN Scanner

नकदीकरण दिये जाने की सुविधा अनुगन्य करते हुये निम्नलिखित श्रेणी के कर्मियों के सम्बन्ध में भी शर्तों के अंतर्गत अनुगन्य है।

(i). ऐसे कर्मी जो संविदा अवधि से पूर्व सेवा से विरत होते है, तो उन्हें देय अवकाश के आधे का भुगतान किया जायेगा।

(ii). ऐसे कर्मी जो बिना नोटिस दिये हुये सेवा से विरत होते है, उन्हें कोई भुगतान देय नहीं होगा।

प्रस्ताव :– राज्य स्वच्छ गंगा मि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष के आधार पर की गयी है, उनके द्वारा सेवा पूरी करने के उपरान्त उनके बचे हुये अवकाष के बदले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिषन की भाँति नकदीकरण का भुगतान परियोजना निदेषक की स्वीकृति उपरान्त किये जाने का प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

V. राज्य स्वच्छ गंगा मिषन –उ0प्र0 के दैनन्दिक कार्यों के सम्पादन हेतु परियोजना निदेषक को कम से कम रू0 10 लाख तक के किसी भी कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

वर्तमान में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व अन्य भत्तों तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत योजनाओं में होने वाले व्यय के अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु होने वाले व्यय की स्वीकृति हेतु मात्र रू0 1 लाख प्रतिवर्ष का अधिकार परियोजना निदेशक में निहित है। कार्यालय संचालन हेतु अतिरिक्त आवश्यक कार्य जिनकी वार्षिक लागत रू0 1 लाख से अधिक है, उनका सम्पादन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत प्रोक्योरमेण्ट–प्लान के अंतर्गत की करायें जा सकते है। प्रोक्योरमेण्ट प्लान स्वीकृत होने में अप्रत्याशित समय लगता है, जिस कारण कार्यालय का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उचित होगा कि रू0 10 लाख तक के किसी भी कार्य/सामग्री की स्वीकृति देने का अधिकार परियोजना निदेशक में निहित किया जाये और इसकी कोई वार्षिक व मासिक सीमा न रखी जाये।

प्रस्ताव– परियोजना निदेषक में रू0 10 लाख तक के किसी भी कार्य/सामग्री की स्वीकृति देने का अधिकार निहित करने (जिसकी कोई वार्षिक व मासिक सीमा न हो) का प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त के प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग को सम्मस्त विवरण के साथ प्रेषित किया जाए जिस प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाए वो प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित माने जायेगें।

एजेण्डा बिन्दु–3.10

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श।

Scanned with OKEN Scanner

I. समिति के समक्ष राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0 प्र0 में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त अनुदान तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा इसका संज्ञान लिया गया।

II. समिति के नामित सदस्य डॉ0 बी0डी0 त्रिपाठी द्वारा गंगा संरक्षण के दिशा में राज्य में निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया–

1. नदी में इन्वायरन्मेंटल फ्लो (e-) बनाये रखने के सम्बन्ध में कार्यवाही।
2. भू–जल स्तर बनाये रखने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा गंगा के किनारे स्थित तालाबों व अन्य वॉटर बॉडीज तथा Flood Plain Area का पुनरोद्धार कराया जाना।
3. गंगा किनारे स्थित ग्रामों में जैविक खेती व Flood Irrigation के स्थान पर Drip Irrigation को प्रोत्साहित किया जाना।
4. जिला गंगा समितियों को सक्रिय किया जाना।

समिति द्वारा उक्त सुझावों से सहमति व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में कार्य किये जाने की अपेक्षा की गयी।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए गंगा पुनरोद्धार सम्बन्धी सभी परियोजनाओं को समन्वित व प्रभावी रूप से कियान्वित करने तथा जन जागरूकता से सम्बंधित कार्य को प्रभावी रूप से कराये जाने की अपेक्षा के साथ बैठक समाप्त किया गया।

Manoj
11.1.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी गंगा नदी संरक्षण अभिकरण

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1	स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2	निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक, एस.एम.सी.जी.–यू.पी. लखनऊ।
3	श्रीमती कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव वन, उत्तर प्रदेश शासन
4	श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन
5	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन
6	श्री रमेश चन्द्र, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
7	श्री आशीष तिवारी, सदस्य सचिव प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0।
8	श्री प्रवीन कुमार विशेष सचिव, पंचायती राज, विभाग, उ0प्र0।
9	श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0।
10	श्री टी.के. शिबू, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
11	सुश्री. अनीता वर्मा सिंह, विशेष सचिव, सिंचाई

Scanned with OKEN Scanner

12	श्री आकाशदीप, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन
13	प्रो0 बी0डी0 त्रिपाठी, कोआर्डिनेटर सेन्टर फार इन्वायरमेन्टल साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, बी0एच0यू0, वाराणसी।
14	श्री गोपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग
15	श्री अजेय रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16	श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, सांइटिस्ट, एक्वाटिक टॉक्सीकोलॉजी डिवीजन, आई0टी0आर0सी0 लखनऊ।
17	प्रो0 आर0सी0 वैश्य, प्रोफेसर, इनवायरमेन्टल इंजीनियरिंग एम.एन.आई.टी.,इलाहाबाद।
18	श्री नीरज श्रीवास्तव, (गंगा एक्टिविस्ट), 7/81, नारायण द्वीप, एनेक्सी, तिलक नगर, कानपुर।
19	श्री सरोज सिंह, निदेशक कृषि

Manoj 11.1.19

प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी गंगा नदी संरक्षण अभिकरण

Scanned with OKEN Scanner